

न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 71/वी-121/2015-16

: आदेश :

(आज दिनांक 23 जून 2016 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा के माध्यम से तहसीलदार सोण्डवा का जांच प्रतिवेदन मय प्रकरण प्राप्त। प्रकरण का अवलाकन किया गया। दिनांक 04.08.2015 को अन्तरसिंह पिता सुवान जाति भीलाला उम्र 18 निवासी सोलिया तहसील सोण्डवा की कृषि कार्य (विघृत टयूबवेल मॉटर धालू करने के दौरान विघृत करट लगान से) मृत्यु हो गई है। मृतक के पिता सुवान पिता बड़दा निवासी सोलिया तहसील सोण्डवा का आर्थिक अनुदान राशि रुपये 1,00,000-00/- (एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर मृत्यु प्रमाण पत्र, पी. एम. रिपोर्ट के आधार पर मृतक के वारिशान में पिता सुवान पिता बड़दा निवासी सोलिया तहसील सोण्डवा को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत आर्थिक अनुदान राशि रुपये 1,00,000-00/- (एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाते हैं। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम 2000, नियम-7 एवं संशोधित आदेश क्रमांक /बोर्ड/योजना/गै.त./मृ.कृ.जी.क. यो./2171/भोपाल दिनांक 06.9.2012 के विहित प्रावधानों अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से आर्थिक अनुदान राशि रुपये 1,00,000-00/- (एक लाख रुपये मात्र) आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अनुदान राशि आहरण कर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरण की जावे।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर
अलीराजपुर दिनांक 23/6/16

पृ0क/ 431/रीडर/2016

प्रतिलिपि:- (आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ)

- 1- सहायक संचालक ऑचलिक कार्यालय कृषि विपणन बोर्ड, इंदौर की ओर सूचनार्थ।
- 2- प्रभारी अधिकारी (वित्त-2/राहत शाखा जिला अलीराजपुर।
- 3- जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर।
- 4- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला अलीराजपुर।
- 5- सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा।
- 7- तहसीलदार सोण्डवा।
- 8- सचिव, कृषि उपज मंडी अलीराजपुर।
- 9- संबंधित (आवेदक) सुवान पिता बड़दा निवासी सोलिया तहसील सोण्डवा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर